

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1312/2010/चित्तौड़गढ़

मैसर्स कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लि०, चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-बी, प्रतिकरापवंचन, कोटा।

.....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या 1313/2010/चित्तौड़गढ़

मैसर्स कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लि०, चित्तौड़गढ़।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य  
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी सी सोगानी, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर के अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय तिथि – 27.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 56 व 67/वेट/09-10 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.04.2010/15.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा/वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 व 15.05.2007 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 19,51,776/- एवं 3,66,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि

1. अ.सं. 1312/2010 व्यवसायी एक ठेकेदार है, जिसने राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर का सप्लाई ऑर्डर ले रखा है। इस आपूर्ति हेतु व्यवसायी ने गुडगांव से माल दिनांक 14.3.2009 को Aviation Warning Light M/s Avaid's Technovators P.Ltd Gurgaon से M/s. Kalpataru Power Transmission Ltd Chittorgarh को आ रहा था, माल के साथ घोषणा प्रपत्र वेट 47 संलग्न नहीं था। नोटिस के जवाब में व्यवहारी द्वारा दिनांक 23.3.2009 को वेट-47 नं० 6073876 जारी कराते हुए दि० 30.3.2009 को सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रू० 19,51,776/- आरोपित की, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 28.04.2010 पारित किया। उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में चुनौती दी गई है।

लगातार.....2.

*अ.सं. 1312/2010*  
*27/04/17*

*✓*

2. अ.सं. 1313 / 2010 - व्यवसायी द्वारा इलेक्ट्रीक सामान अहमदाबाद से आमेट के लिये परिवहनित किया जा रहा था, जिसके साथ अन्य समस्त वांछित दस्तावेज पाये गये परन्तु प्रपत्र वैट 47 माल के साथ नहीं पाया गया। नोटिस के जवाब में व्यवहारी द्वारा निवेदन किया गया कि वैट 47 भूल से रहा गया था, जो वैट-47 नं0 0184088 तथा 0184089 सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रू0 3,66,000/- आरोपित की, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 15.03.2010 पारित किया। उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में चुनौती दी गई है।
3. उभयक्षीय बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि दोनों प्रकरणों में जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था एवं घोषणा प्ररूप वैट-47 जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु प्रस्तुत जवाब को सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। गुणावगुण पर पुनः अग्रिम कथन किया कि प्रथम उपलब्ध अवसर पर पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप जवाब के साथ पेश कर दिया था, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित की गयी है, जो पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स किशनगढ़ बनाम् स.वा.क.अ. उड़नदस्ता 2013 36 टैक्स अपडेट 37 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक को प्रोद्धरित कर, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की है।
5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ प्ररूप वैट 47 नहीं पाया गया, जिससे व्यवहारी की करपवंचना की मंशा सिद्ध होती है। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बतलाते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में यह स्पष्ट है कि वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47 उपलब्ध नहीं था, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अन्य वांछित दस्तावेजात जी.आर., इन्वॉयस, बिल्टी, प्रमाण पत्र आदि वक्त चैकिंग मौजूद थे। केवल मात्र वैट 47 नहीं पाये जाने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्तियों का आरोपण किया गया है। व्यवहारी द्वारा आयातित माल का निर्माण अन्य राज्यों में होता है एवं व्यवहारी एक पंजीकृत कम्पनी है, उसके द्वारा नोटिस के जवाब में वैट 47 सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, जिससे अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 की पालना सुनिश्चित हो जाती है। सशक्त अधिकारी द्वारा घोषणा प्ररूप वैट-47 की प्रस्तुति के अभाव में जारी नोटिस की पालना में, अर्थात् प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी कि लिपिक की त्रुटि के कारण घोषणा प्ररूप वैट-47 माल के साथ संलग्न नहीं हो पाया था तथा जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा

*Amrinder*  
27/04/17

*h*

लगातार.....3.

हुआ घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत किया गया था। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त को बाद की सोच होना अवधारित कर, प्रस्तुत घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, तदनुसार शास्ति आदेश पारित किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या शास्ति आरोपित करना उचित है?


7. ऐसे प्रकरणों में डी.पी. मेटल्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो उसका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दृष्टान्त एसीटीओ, एफएस भरतपुर बनाम हरसहाय द्वाराका प्रसाद अग्रवाल वो. 43 पार्ट 7 टैक्स अपडेट पृष्ठ 230 में निम्न प्रकार उल्लेखित किया है :-


**“In my view, the order of the Tax Board deserves to be upheld for the reason that the declaration form, which was obtained by the assessee, was available with them, and which was produced immediately on demand, and even on the same day of intercepting the vehicle. Admittedly, it is not a cast that the declaration form was obtained subsequent to the dispatch of the goods or after being intercepted by the authorized officer of the Revenue, and admittedly the vehicle was checked on June 23, 1999 on an information giving by the vehicle incharge to the assessee, he appeared before the authorized officer himself on the same day, i.e. June 23, 1999 and produced decalaration form ST-18C, therefore, once it is a finding of fact given by the assessing officer that the declaration form was produced on the same day on June 23, 1999 when the vehicle was intercepted, in my view, in the light of the judgment rendered by the honouable apex court in the case of D.P. Metals [2001] 124 STC 611 (SC) [2002] 1 SCC 279 and in the light of the rule 54 of the RST Rules, which postulate that principle of natural justice demand that an opportunity should be given and therefore, it is a clear cut case where the declaration form, though mandatory, required to be carried with the vehicle but the driver/vehicle incharge forgot to carry the same, which was immediately produced on demand that too on same day.”**

8. जहां तक हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, उक्त में भी यह वक्त जांच स्पष्ट कर दिया गया था कि लिपिक की त्रुटि के कारण वैट-47 घोषणा प्ररूप संलग्न नहीं किया गया था, जो कि “भूलवश” था। वक्त परिवहन माल के साथ अन्य विधिक दस्तावेजात उपलब्ध थे, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यामक स्थिति को नजरअंदाज कर, शास्ति आरोपित की गयी, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। फलस्वरूप, यह अवधारित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रथम उपलब्ध अवसर पर अपीलार्थी द्वारा वैट-47 प्रस्तुत कर दिया गया। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में, आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

9. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2010 / 28.04.2010 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य

  
(मदन लाल)  
सदस्य